

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली - 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2019/00716

दिनांक 27.09.2019

सेवा में,

श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक आपका दिनांक 11.09.2019 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 25.09.2019 को प्राप्त हुआ के संदर्भ में अवगत करवाया जाता है कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत यदि आप कोई सूचना चाहते हैं, तो सूचना से संबंधित कार्यालय में आर.टी.आई. आवेदन भेजें। यदि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक प्राधिकरण/विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में कोई सूचना प्रदान नहीं की जाती है अथवा प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट न हों तो अगले 30 दिनों के अंदर उसी कार्यालय/विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दाखिल करें। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी निर्धारित अवधि में कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती है या प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश से भी आप संतुष्ट न हों तो अगले 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल कर सकते हैं। द्वितीय अपील आवेदन के साथ लोक प्राधिकरण से अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किए गए पत्राचार की छायाप्रतियाँ (स्वअभिप्राप्तियाँ) संलग्न करना आवश्यक होता है, जिनमें सूचना प्राप्ति हेतु आर.टी.आई. आवेदन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना (यदि सूचना प्रदान की गई हो), प्रथम अपील आवेदन, प्रथम अपीलीय अधिकारी का आदेश (यदि दिया गया हो), पहचान पत्र की प्रति के साथ सभी संलग्नकों का क्रमांक (Index) सूची भी संलग्न करना आवश्यक है। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील दाखिल करने हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री पीयूष अग्रवाल, पंजीयक एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 दूरभाष नं. 011-26105021 पर की जा सकती है।

(टी.बी.जे.एस. राजप्पा)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,

आर.टी.आई. सेल,

दूरभाष - 011-26172690

